

सं० सं.-7/ प्रा०स्वा०केन्द्र-01-04/2019.112(7)/

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोईलवर, भोजपुर ।

पटना, दिनांक-09-03-2019

विषय:- एम.जे.सी. संख्या-620/2017 डा० अरविन्द कुमार डेढ़गवे बनाम. बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-24.01.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में जयधोष सूद (देय पेशन की राशि पर 5(पाँच) प्रतिशत ब्याज की राशि) कुल ₹ 3,58,637/- (तीन लाख अठावन हजार छः सौ सैतीस रू०) मात्र का उप आवंटन ।

नहाशय,

उपर्युक्त विषयांकित के संबंध में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-151(7) दिनांक-21.02.2019 एवं शुद्धि पत्र संख्या-158(7) दिनांक-01.03.2019 तथा वित्त विभागीय आवंटनादेश संख्या-324 वि० दिनांक-07.03.19 (प्रति संलग्न) के आलोक में ₹ 3,58,637/-रू., (तीन लाख अठावन हजार छः सौ सैतीस रू०)रू. मात्र का उप आवंटन दी जाती है ।


2. उपर्युक्त सूद की राशि का व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मांग संख्या-13, बजट शीर्ष 2049-ब्याज- आदायगियाँ (प्रभृत), 60-अन्य दायित्वों पर ब्याज, 701-विविध, 0003-विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय विस्तृत शीर्ष-45-ब्याज, विषय शीर्ष-01-ब्याज, विपत्र कोड संख्या-13-2049.60.701.0003 के अन्तर्गत उपबधित राशि से किया जायेगा ।

3. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोईलवर, भोजपुर होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, भोजपुर से की जायेगी ।

4. यह उप आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.98 के आलोक में की जा रही है ।

5. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,



(राधेश्याम साह)


सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापक : 112(7)

पटना, दिनांक 09-03-2019

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित सिविल सर्जन/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोईलवर, भोजपुर/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी /को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-प्रशाखा-2,3,7/ आई.टी. मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव

पत्र सं० अ०पा० 20/2018/वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग

20

प्रेषक,

पंकज कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक

विषय:-

एम०जे०सी० सं०-620/2017 डॉ. अरविन्द कुमार डेढ़गवे बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक- 24.01.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में पेंशन की राशि पर देय जयघोष सूद की राशि रुपये 3,58,637/- (तीन लाख अठावन हजार छः सौ सैंतीस) रुपये का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-151(7) दिनांक-21.02.2019 एवं शुद्धि-पत्र ज्ञापांक-158(7) दिनांक-01.03.2019 के आलोक में राशि रुपये 3,58,637/- (तीन लाख अठावन हजार छः सौ सैंतीस) रुपये मात्र आवंटन की जाती है ।

2. उपर्युक्त व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत मांग सं०-13, बजट शीर्ष 2049-ब्याज अदायगियाँ (प्रभृत), 60-अन्य दायित्वों पर ब्याज, 701-विविध, 0003- विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय, विस्तृत शीर्ष-45-ब्याज, विषय शीर्ष 01-ब्याज, विपत्र कोड-13-2049.60.701.0003 के अंतर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा।

3. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोईलवर, भोजपुर हेंगे तथा इस राशि की निकासी जिला कोषागार, भोजपुर से की जाएगी।

4. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.98 के आलोक में निर्गत किया गया है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी ।

/वि०, पटना, दिनांक

ज्ञापांक-अ०पा० 20/2018

प्रतिलिपि : महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-

(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी ।

/वि०, पटना, दिनांक ... 07/08/19

ज्ञापांक-अ०पा० 20/2018 - 324

प्रतिलिपि: प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोईलवर, भोजपुर /कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भोजपुर /जिला पदाधिकारी, भोजपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।

(पंकज कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी ।


बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि पत्र

स्वास्थ्य विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या-151(7) दिनांक-21.02.2019 के कंडिका-2 में अंकित "उपर्युक्त सूद की राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबध व्यय अन्तर्गत मांग संख्या-13, मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज- आदायगियाँ (प्रभृत)- उप मुख्यशीर्ष-60-अन्य दायित्वों पर ब्याज लघुशीर्ष -701-विविध, उपशीर्ष-"0005-विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय" विस्तृत शीर्ष-45-ब्याज, विषय शीर्ष-01-ब्याज, विपत्र कोड संख्या-13-2049607010005 अन्तर्गत उपबंधित राशि से व्यय किया जायेगा" के स्थान पर " उपर्युक्त सूद की राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबध व्यय अन्तर्गत मांग संख्या-13, मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज- आदायगियाँ (प्रभृत)- उप मुख्यशीर्ष-60 -अन्य दायित्वों पर ब्याज लघुशीर्ष -701-विविध, उपशीर्ष-"0003-विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय" विस्तृत शीर्ष-45-ब्याज, विषय शीर्ष-01-ब्याज, विपत्र कोड संख्या-13-2049607010003 अन्तर्गत उपबंधित राशि से व्यय किया जायेगा" शुद्ध रूप में पढ़ा जाय।


इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

उक्त स्वीकृत्यादेश की अन्य बाते यथावत रहेंगी ।


(डा० राजीव कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक:-7 / प्रा०स्वा०केन्द्र-01-04 / 2019-158(7) पटना, दिनांक : 01-03-19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार(ले० एवं ह०), बिहार, पटना / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोईलवर, भोजपुर / जिला कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर / जिला पदाधिकारी, भोजपुर / वित्त विभाग, बजट शाखा / प्रमंडलीय आयुक्त, पटना / सिविल सर्जन, भोजपुर / माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के सचिव / निदेशक प्रमुख के सचिव / विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02,03,07 एवं संबंधित सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सं० सं.-7/प्रा०स्वा०केन्द्र-01-04/2019...../

पटना, दिनांक- / /2019

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना ।

विषय:- जयधोष राशि के व्यय की स्वीकृति ।

एम.जे.सी. संख्या-620/2017 डा० अरविन्द कुमार डेढ़गवे बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक-24.01.2019 को पारित न्यायादेश के आलोक में जयधोष सूद (देय पेंशन की राशि पर 5(पाँच) प्रतिशत ब्याज की राशि) कुल 3,58,637/-रु.,(तीन लाख अठ्ठावन हजार छः सौ सैंतीस रु०) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. उपर्युक्त सूद की राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2018-19में स्थापना एवं प्रतिबध व्यय अन्तर्गत मांग संख्या-13, मुख्य शीर्ष 2049-ब्याज- आदायगियाँ (प्रभृत)- उप मुख्यशीर्ष-60-अन्य दायित्वों पर ब्याज लघुशीर्ष -701-विविध, उपशीर्ष-"0005-विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय" विस्तृत शीर्ष-45-ब्याज, विषय शीर्ष-01-ब्याज, विपत्र कोड संख्या-13-2049607010005 अन्तर्गत उपबंधित राशि से व्यय किया जायेगा ।

3. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोईलवर, भोजपुर होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, भोजपुर से की जायगी ।

4. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटन आदेश अलग से निर्गत होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


ह०/-

(डा० राजीव कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक : 151 (7)

पटना, दिनांक : 21-02-19

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा / प्रमंडलीय आयुक्त, पटना / जिला पदाधिकारी, भोजपुर / जिला कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर / सिविल सर्जन, भोजपुर / माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के अपर सचिव / प्रधान सचिव के सचिव / निदेशक प्रमुख के सचिव / विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोईलवर, भोजपुर / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02,03,07 एवं संबंधित सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित ।


सरकार के अपर सचिव